



गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बाँसवाड़ा

coe@ggtu.ac.in

क्रमांक:—एफ()गोगुजवि / बाँस / परीक्षा / विद्यासंबल / 2025 / 1857

दिनांक: 10.06.2025

विस्तृत विज्ञापन आवेदन (अतिथि व्याख्याता) (विद्या संबल योजना के अंतर्गत)

सत्र 2025-26

विद्या संबल योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अभियांत्रिकी महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय परिसर में क्रमशः संचालित बी.टेक./स्नातकोत्तर, स्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में सत्र 2025-26 में कालांश आधारित शिक्षण प्रणाली (पूर्णतः अस्थायी) के लिए AICTE/UGC द्वारा सहायक आचार्य (असिस्टेंट प्रोफेसर- कॉलेज शिक्षा) हेतु निर्धारित अर्हता अनुसार पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

क्र.सं.	परिसर	विषय	विज्ञापन किए जाने वाले पद संख्या
1	विश्वविद्यालय अभियांत्रिकी महाविद्यालय	CHEMISTRY	01
2		CIVIL ENGG.	04
3		COMPUTER SCIENCE & ENGG.	04
4		ELECTRICAL ENGG.	04
5		ELECTRONIC & COMMUNICATION ENGG.	02
6		ENGLISH	01
7		MATHEMATICS	01
8		MECHANICAL ENGG.	03
9		PHYSICS	01
10	विश्वविद्यालय परिसर	ABST	04
11		BOTANY	04
12		BUSINESS AD.	04
13		CHEMISTRY	04
14		EAFM	04
15		EDUCATION	04
16		ENGLISH	04
17		GEOGRAPHY	04
18		HINDI	04
19		HISTORY	04
20		MANAGEMENT	05
21		JYOTIRVIGYAN	02
22		LAW	11
23		MATHS	04
24		MUSIC	04
25		PGDCA	01
26		POLITICAL SCIENCE	04
27		SANSKRIT	04
28		SOCIOLOGY	04
29		TRIBAL ART & CULTURE	01
30		VEDIK SAHITYA	02
31		YOGA	05
32		ZOOLOGY	04

नियम एवं शर्तें :-

- 1 उक्त कालांश आधारित शिक्षण राजस्थान सरकार के (वित्त/सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के पत्रांक प 6 (2) वित्त/सा.वि.ले.नि/ 2021 दिनांक 30-03-2021, दिनांक 07-08-2023 के अधीन रहेगी।
- 2 अभियांत्रिकी महाविद्यालय में स्ट्रीम विषय (क्रम संख्या 2, 3, 4, 5, 8) शिक्षण अध्यापन हेतु योग्यताएँ एवं अर्हताएँ AICTE एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों आदेशों के अधीन रहेगी।
- 3 विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय में संचालित विधि पाठ्यक्रमों (तीन वर्षीय एलएलबी, दो वर्षीय एलएलएम एवं एक वर्षीय पीजी डिप्लोमा इन लेबर लॉ) में अध्यापन हेतु विषय (क्रम संख्या 23) योग्यताएँ एवं अर्हताएँ UGC, BCI एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों आदेशों के अधीन रहेगी।
- 4 शेष समस्त विषयों पाठ्यक्रमों में अध्यापन हेतु योग्यताएँ एवं अर्हताएँ UGC एवं राजस्थान राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों आदेशों के अधीन रहेगी।
- 5 गेस्ट फैकल्टी का पैनेल तैयार करने के लिए वरीयता के मानदंड आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान द्वारा जारी निर्देशों में सलग्न संख्या 2 के अनुरूप रहेगी।
- 6 विद्या संबल योजना में समस्त प्रक्रियाएँ एवं नियमावली राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अधीन रहेगी ।
- 7 कालांश आधारित शिक्षण में आमंत्रित अतिथि व्याख्याता का शिक्षण संस्थान में ठहराव UGC नियमानुसार निर्धारित रहेगा।
- 8 आमंत्रित अतिथि व्याख्याता को विश्वविद्यालय द्वारा जारी शपथ पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
- 9 अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित आशार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु एक अवसर प्रदान किया जायेगा एवं अंतरिम रूप से शिक्षण हेतु एक बार आमंत्रित किया जायेगा। अनुपस्थित होने पर द्वितीय अवसर नहीं दिया जायेगा।
- 10 उक्त समस्त प्रक्रियाएँ राजस्थान उच्च शिक्षा द्वारा जारी विद्या संबल योजना के अनुरूप रहेंगी। विस्तृत जानकारी के लिए आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की वेबसाइट का नियमित अवलोकन करें।
- 11 आवेदन करने का शुल्क :- सामान्य श्रेणी एवं ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस 500/- रु., अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 300/- रु. एवं दिव्यांग श्रेणी 300/- रु. (विशेष: राजस्थान राज्य से बाहर के सभी अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की कोटि में गिने जाएंगे।)

ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करने की आरंभ तिथि : 16-06-2025 10:00:00 IST

ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करने की अंतिम तिथि : 06-07-2025 23:59:59 IST

कुलसचिव